संख्या-58 / 2017 / 571 /चार-2017 -83(बजट)2006 टीसी-2

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2017

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय की आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय के अधिष्ठान व्यय की मद में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत राजस्व मद के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 631.74 लाख (रूपये छः करोड इक्कतीस लाख चव्हत्तर हजार मात्र) एवं भारित मद में रूपये 5000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि निदेशक, पुरातत्व निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य स्क्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च , 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

20 मार्च , 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या- 58 / 2017 / 571 (1)/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 58 / 2017 / /चार-2017-83(बजट)/06 टीसी-2 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2017 -18 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण-आयोजनेत्तर

मदें	धनराशि (लाख रूपये में)
अनुदान संख्या- 92-आयोजनेत्तर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति 103 पुरातत्व विज्ञान , 03- पुरातत्व निदेशालय	
01- वेतन	484.65
03-मॅहगाई भत्ता	24.23
04-यात्रा व्यय	6.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	25.93
07-मानदेय	0.20
08-कार्यालय व्यय	3.00
09 - विद्युत देय	8.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.15
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	0.70
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.80
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.60
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.00
18-प्रकाशन	1.50
29-अनुरक्षण	10.00
42-अन्य व्यय मतदेय भारित	19.00 0.05
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत् सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49-चिकित्सा व्यय	8.00
51-वर्दी व्यय	0.25
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	29.23
योग मतदेय रू0 भारित रू0	631.74 0.05

(रूपये छः करोड इक्कतीस लाख चव्हत्तर हजार मात्र एवं भारित रूपये पॉच हजार मात्र)

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/